RO AD.

सहाय्यक भविष्य निधी आयुक्त का कार्यालय

टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद - ४३१००३ OFFICE OF THE ASSISTANT PROVIDENT FUND COMMISSIONER Town Centre, Cidco, Aurangabed - 431003

सं./	(महा:/भ.नि./ प्रयोज्यता /	दिनांक -
सेवा	MH/AB/81715/APP/Cis. 61/692	Date- 23/03/2005
To,	Megha Electrical Services,	
	Megha Flectrical Services, N-2, 415/8, CFDCO,	
	Acirangabadi	
-	- Marting de Principal	
-		
विष	य ः कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, १९५२ और उसवे संख्या का आवंटन ।	उ अधिन बनाई गई योजना- इसकी प्रयोज्य ता संकेत
Sui	there-under-applicability thereof-Allotment of code number	
महोत		
Sir,		
٩.	आपकी फॅक्ट्री / स्थापना उसकी सभी शाखाएं और विभागों के साथ दि	
1.	Your factory/ establishment with all its branches and department Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1 with effect from	952 and the scheme framed there under
(9)	आपकी फॅक्ट्री अनुसूची १ में उल्लिखित उद्योग	ग कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा १ (३)
(i)	Your factory is engaged inone of the inditte Employees' Provident Funds and Miscelleneous Provisions Ad	ustries specified in Schedule 1 to which
•	(a) of the Act. आपकी स्थापनां के लिए वर्गीकृत की गई है जिसा	of the same of (a) (A) at order than
	सरकार द्वारा जारी की गई अधिसचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उप	लब्ध अधिनियम, १९५२ लाग, किया है।
(ii)	Yours is an establishment classified as Expertices and Miscellaneous Provisions Act. 1952 has been made applicable by issued under Section 1(3) (b) of the Act.	to which the Employees Provident Funds the Government of India by a Notification
3.	आपकी फॅक्ट्री / स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची १ में उल्लिखीत उद्योग में तथा अधि द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भुत नहीं हैं ! अतः आपकी स्थापना को अन्सू	
	१-क) जांच पहताल / उपलब्ध सूचना के आधारपर व्याप्ति तत्कालिक स्वरुप की है. लेकी- हो जाए !	ा इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित
	1-A) The Coverage is provisional on the basis of enquiries made further verification of your records for prior periods.	/information available and is subject to
	(१-ख) अधिनियम की धारा (१) (४) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपल	ह्य अधिनियम, १९५२ के स्वैच्छिक रूप से विस्तार के
	सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं के सन्दर्भ	
	की धारा १ की उपधारा (४) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुओ भारत सरकार	
	तत्कालिक रूप से दि से, व्याप्ती करके उसके लिए, एमएच/	यह संकेत संख्या नियत की गई है।
	(1-B) With reference to your application No	tion 1(4) of the Act on a voluntary basis, a provisionally covering of a notification by the Government of India

and Miscellaneous Provisions Act. 1952

- (१-क) आपकी कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ और उसके अधिन बनाई गई योजना के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए एमएच/......यह संकेत संख्या नियत की है । यह संकेत संख्या इस कार्यालय के साथ किये जानेवाले सभी पत्राचार पर नित्य रूप से उद्धृत की जाए ।
- २. आपको से कर्मचारी भविष्य निधी योजना से परिवार पेन्शन योजना तथा से निक्षेप सहबध्द बीमा योजना के उपबन्धों को कार्यान्वित करना है, अगर अभीतक न किये हो, तो ।
- 2. You are required to implement the provisions of the Employees Provident Fund Scheme w.e.f. 1/02/2005 and Deposit Linked Insurance Scheme w.e.f. 1/02/2005 if not already done.
- ३. फॅक्ट्री/स्थापना में या उसके काम के सम्बंध में कार्य करनेवाला कर्मचारी भविष्य निधी योजना, १९५२ की धारा २६ के अनुसार निधी की सदस्यता के लिए पात्र होगा ।
- As provided in para. 26 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 an employee working in or in connection with the work of the factory/establishment shall be eligible for membership of the fund.
- 8. (१) हर महिने प्रत्येक कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भता (अनाज सुविधा की नगद कीमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारणभत्ते के ६.१/४ %/८ % / ८.१/३ %/ १० % १२ % की दर से अंशदान नियोक्ता द्वारा देय होगा ! कर्मचारी द्वारा देय अंशदान नियोक्ता द्वारा देय अंशदान के समान होगा ।
- 4. (i) The contributions payable by the employer shall be at the rate of 6.1/4% / 8%/ 8.1/3% / 10%/ 12% of basic wages, dearness allowances (Including cash value of food concession) and retaining allowances, if any payable to each empoyee every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contribution payable by the employer.
 - २) अंशदान पूर्ण महिने में प्राप्त किये मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदी के आधारपर परिकलीत किया जाए, चाहे वह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर अदा किया है।
 - (ii) The contributions shall be calculated on the basic wages, dearness allowances etc. actually drawn during the whole month wheather paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.
 - ३) प्रत्येक अंशदान रुपये के नजदिक के चतुर्थांश में परिकलीत किया जाएगा । जैसे कि १२५ या उसके अधिके पैसे रुपये के अगले उच्च चतुर्थांश के अनुसार गिने जाए ।
 - (iii)Each contribution shall be calculated on the nearest quarter of a rupee i.e. 125 paise more to be counted as the next higher quarter of a rupee.
 - ४) अंशदान की परिगणना हेतू वेतन नजदिक के रुपये में पूर्णींकत किया जाए जैसे कि ५० या उससे अधिक पैसे रुपया के अनुसार गिने जाए और ५० से कम पैसे छोड़ दिये जाए !
 - iv) For the purpose of calculation of contributions the wages may be rounded off to the nearest rupee i.e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.
 - टिप्पणी: किसी भी दिन आपने ५० या ५० से अधिक व्यक्तियों को कामपर रखा तो आप १० % अंशदान देने के लिए उत्तरदायी होंगे!
 Note: On your employing 50 or more than 50 persons on any day, you will be liable to pay contributions 10%
 ५) नियोक्ता प्रथमतः उसके और कर्मचारी की ओर देय दोंनो अंशदान भरे।
 - v) The employer shall in the first instance pay both contributions payable by himself and also on behalf of the member.
 - ६) ठेकेदार द्वारा कामपर लगाये हूये कर्मचारी के बारे में देय अंशदान ठेकेदार वसूल करेगा और सदस्य के अंशदान की कटौती समान अंशदान की राशी प्रशासनिक खर्चा की रक्कम के साथ मुख्य नियोक्ता को सुपूर्व करेगा।
 - vi) In respect of employee employed by or through a contractor, the contractor shall recover the contribution payable by such employees' and shall pay to the principal employer the amount of member's contribution so deducted together with an equal amount of contributions and administrative charges.
 - ७) मुख्य नियोक्ता पर उसके कर्मचारीयों के एवं ठेकेदार द्वारा कामपर लगाये गये कर्मचारीयों के बारे में देय दोनों अंशदान और प्रशासनिक खर्चों की रक्कम भरने की जिम्मेदारी होगी ।
 - vii) It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the contributions payable by himself in respect of employees employed by him and also in respect of employees employed by or through a contractor and also administrative charges.

- 4. कर्मचारी को उसका वेतन देने से पहले उसके वेतन से कर्मचारी के अंशदान की कटोती करें और आपका अंशदान एवं प्रशासनिक खर्चों की रक्कम के साथ प्रत्येक महिने की समाप्ति के १५ दिन के अंदर भारतीय स्टेट बँक द्वारा घोषित निधी में अलग चालाना द्वारा निम्नलिखीत प्रकार से भरें.
- 5. Before paying the member his wages, you shall deduct the employee's contributions from his wages which together with your own contribution and administrative charges shall, within 15 days of the close of every month be paid into the Accounts of the fund maintained by the State Bank of India by separate challans in the following manner:

क) भ.नि.अंशदान (दोनो कर्मचारी एवं नियोक्ता का)

कर्मचारी भविष्य निधी लेखा १ में विक्षेपित किया जाए।

a) P. F. Contributions (both employees and employers)

To be deposited in Employees Provident Fund Account No.1 कर्मचारी भविष्य निधी लेखा सं. २ में निक्षेपित किया जाए ।

ख) प्रशासनिक खर्च की रक्कम

कमचारा भावष्य निधा लखा स. २ म निक्षापत किया जाए ।

To be Deposited in Employees Provident Fund Account No.2

b) Administrative charges

ग) परिवार पेन्शन अंशदान कर्मचारी परिवार पेन्शन निधि लेखा सं. १० में निक्षेपित किया जाए।

c) Family Pension contribution

To be deposited in employees Family Pension Fund Account No.10

िटप्पणी: १ प्रशासनिक खर्चों की दर वेतन के, अर्थात मूल वेतन, अनाज सुविधा की नकद किंमत के साथ महंगाई भत्ता और अगर हो तो

प्रतिधारण भत्ते के ०.६५ % है। जिस स्थापना द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रक्कम प्रतिमास ५.०० रुपयों से कम परिकलित होती हो, उसके द्वारा

प्रशासनिक खर्चों की रक्कम प्रतिमास कम से कम ५.०० रुपये देय होगी।

Note: (i) The rate of administrative charges is 0.65 & 1.10 percent of pay w.e.f. 1/8/1998 i.e. basic wages, dearness allowance including cash value of any food concession and retaining allowance, if any.

२) यह भी नोट कर लिया जाए की सदस्य के वेतन से तथा समय कटौती न करने पर अंशदान के दोनो हिस्से खुद नियोक्ता को भरने होंगे क्यों की उत्तरवर्ती वेतन से पिछले अवधि के लिए बकाये अंशदान की वसुली निशिध्द है ।

ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the members wages, the emploer will have to pay both the shares himself as the recovery of arrears contributions for back period from the subsequent wages of the employee is prohibited.

iii) You have to deposit the total P.F. contributions of the eligible employees for all past months namely from 2 2005 in to the respective account within 30 days from the date of this letter.

४) धन प्रेषन हेतु सम्बन्धित चीलान इस कार्यालय या विभिन्न जिलों में स्थित निरीक्षक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

iv) The relevant challans for the purpose of remittance can be had from any branch of the State Bank of India, situated in Marathwada region consisting of Aurangabad, Jalna, Parbhani, Nanded, Latur, Osmanabad, Beed.

५) चेक यथा अवस्था क.भ.नि.लेखा सं.१,२,१०,२१ और २२ के नाम से लिखकर चालान की चार प्रतियों के साथ भारतीय स्टेट बँक की

किसी भी शाखा में प्रस्तृत किये जाए।

६) लेखा संख्या १,२ और १० में (उपयुक्त ब्योरे के अनसार) किये जानेवाले निक्षेप के अतिरिक्त आपको कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना १९७६ के अन्तर्गत लेखा सं२१ और २२में निम्नलिखीत प्रकार से राशीका निक्षेप प्रत्येक महिने की समाप्ति के बाद अगले महिनें के १५ दिन के अन्दर करना है ।

6. Besides making deposits in Accounting Nos.1,2 and 10 (as explained above), you are also required to deposit the amount in Accounts Nos.21 and 22 under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.

 निक्षेप सहबद्ध बीमा निधी लेखा सं. २१ इस लेखा में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को देय मुल बेतन, महंगाई भत्ता (अनाज की नगद किंमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारण भत्ते की कुल राशी पर ०.५ % की दर से अंशदान निक्षेपित करना है।

(i) Deposit Linked Insurance Fund

Account No. 21

To this account will be deposited the contribution 0.5% which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including Cash value of food concession) and retaining allowance, if any, payable to the employees by the employer,

२. क्षेत्रिय बीमा निधी प्रशासन लेखा सं.२२ इस लेखा में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद किंमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारण भत्ते की कुल राशी पर 0.09 की दर से प्रशासनिक खर्ची की रकम निक्षेपित करनी है।

ii) Regional Insurance Fund Administration Account No. 22 To this account will be deposited the administrative chargs 0.01 percent which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (Including the cash value of food concession) and rataining allowance, if any, payable to the employees by the employer.

- ७. उपयुक्त लेखा सं. १,२,१०,२१ और २२ में किया जानेवाला निक्षेप अलग चालान द्वारा किया जाए एवं बैंक द्वारा प्राप्त पावती चालान की प्रति प्रपन्न सं. १२-ए (निम्निलिखित ब्योंरो के अनुसार) के साथ संलग्न करके इस कार्यालय को भेजी जाए।
- 7. The deposit in the above Account viz. No. 1,2,10,21 and 22 are to be made by separate challans and a copy of the challan as receipted by the Bank may be forwarded to this office duly attached with form 12-A (explained below)
- ८. आपको निम्नलिखित विवरणों का पोषण / प्रेषन करना है।

8. You are required to maintain / forward the following returns.

१. क.भ.नि. योजना १९५२ के अन्तर्गत प्रपत्र संख्या ९ योजना के अन्तर्गत फॅक्ट्री । स्थापना की व्याप्ति की तारीख पर जिन्हे सदस्य बनाना आवश्यक है या जे सदस्य बननेके लिए पात्र है उन कर्मचारीयों के बारे में केवल एक बार उन्हें इस कार्यालय में प्रस्तुत करना है।

i) Form No.9 under the EPF Scheme 1952 These are to be submitted to this office once in respect of those employees who are required or entitled to become members on the date the factory / establishment is covered under the Scheme.

२. कर्मचारी भ.नि.योजना १९५२ तथा प.पे.नि. इन्हें इस कार्यालय को भेजने के लिए प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियाँ प्राप्त करना है।

योजना १९७१ के अन्तर्गत प्रपत्र सं. २

ii) Form No. 2 Under the EPF Scheme Scheme, 1971 These are to be obtained in duplicate form every member for submission to this office, 1952 and also under F.P.F.

३. प्रपत्र सं. ५-ए

यह इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा । मालिकी में अगर उत्तरवर्ती परिवर्तन हो जाए तो उसे इस प्रपत्र के जरिए इस कार्यालय को सूचित किया जाए ।

iii) From No. 5-A

This is to be submitted to this office. Any subsequent change in ownership is also to be notified to this office through this form.

४. प्रपत्र सं. ३-ए

इसे प्रत्येक सदस्य कर्मचारी के बारे में फॅक्ट्री / स्थापना में पोषीत किया जाना है।

iv) Form No.3-A

This is to be maintained at the factory / establishment in respect of every employee who is a member.

५. प्रपत्र सं. ६-ए

यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे वित्तिय वर्षकी समाप्ति पर ३० दिन के अन्दर इस कार्यालय को भेजा जाना है।

v) Form No. 6-A

This is the annual return of contributions and is to be submitted to this office within 30 days of the close of the financial year.

६. प्रपत्र सं. १२-ए

यह अंशदान की मासिक विवरण है और इसे २५ तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाना है। भारतीय स्टेट बँक में किये गये निक्षेप के पुष्टिकरण हेतु चालान की प्रतियाँ इसके साथ संलग्न की जाए ।

vi) Form No. 12-A

This is the monthly return of contributions and is to be submitted to this office by 25th. Copies of the challan, in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.

७. प्रपत्र सं. ५ और १०

यह महिने में जिन कर्मचारीयों को सदस्य बनाया गया है तथा जिन कर्मचारीयों ने सेवा त्याग दी है । उनके सम्बन्धि विवरणियाँ है जिन्हे २५ तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाता है।

vii) Form Nos. 5 & 10

These are the returns of employees who have become new members or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 25 th.

- ९. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, परिवार पेन्शन योजना तथा निक्षेप सहबध्द बीमा योजना १९७६ के अन्तर्गत सभी निर्धारित प्रपत्र भविष्य निधि निरीक्षक के कार्यालय में उपलब्ध है और आपकी पहचान पर उसकी पूर्ती की जाएगी । योजना के निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक "ए" में दिया है। शीघ्र गणक भी इसके संलग्न है।
- 9. All the forms prescribed under the Employees' Provident Funds Scheme, the Family Pension Fund Scheme and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 are available at this Office and will be supplied on receipt of your indent A summary of the various forms prescribed under the Scheme is given as Annexure 'A', A ready reckoner is also enclosed.
- १०. इसके आलावा आपको सेवा में लिए गए प्रत्येक कर्मचारी से प्रपत्र सं. ११ में निवंदन प्राप्त करना होगा जिससे वह पहले भविष्य निधि योजना का सदस्य था या नहीं इसका पता चल सके । सदस्यता के लिये लगनेवाली योग्यता की जांच करने हेतू प्रत्येक स्थापना असदस्य कर्मचारीयों के बारे में पात्रता रिजस्टर रखेगी ।
- 10. Beside you should also take a declaration in form No.11 from every employee who is taken in employment to ascertain as to whether or not he was already a member of the Provident Fund Scheme.
- ११. निम्निलिखत प्रारुप के अनुसार एक निरिक्षक पुस्तिका रखी जाए एवं टीका-टिप्पणी दर्ज करने के लिए उसे भविष्य निधि निरिक्षक को प्रस्तुत किया जाए ।
- 11. An inspection book in the following proforms may also be maintained and produced to the Provident Fund Inspector for recording his observations.

	010000000000000000000000000000000000000	
	१) भविष्य निधि निरिक्षक का नाम	
	1) Name of the Provident Fund Inspector	
	1) Name of the Provident Pullu hispector	*************************************
	२) जांच किये गये लेखा की अवधि	
	र) जांच किय गय तथा का अवाध	*************************************
	2) Period of which accounts are checked	
	of \$133 for the first terms of the Market of the first of	
	the plant of the party of the p	
	३) भेट की तारीख	******************************
	3) Date of Visit	
	3) Date of Visit	
	४) टीका टिप्पणी	A:
	4) Observation	*****
	A STATE OF THE PROPERTY OF STATE OF THE PARTY OF THE PART	
१२. उपर	युक्त धारा २-के अनुसार आपको फॅक्ट्री/स्थापना के लिये एमएच/	यह संकेत संख्या
निय	वत कि है । सदस्यों की लेखा संख्या ९ और प्रपत्र संख्या ३ (प.पे.नि.) के अनुसार ३	क्रमणः होगी । एतद अनुसार सदस्यो
की	वैयक्तिक लेखा संख्या एमएच//१ एमएच/	(2)
1721	एच//३. और इसी तरह लगातार होगी । एक बार एक	
Colo	सी भी मामले में दुसरे सदस्य के लिए नियत नहीं की जाएगी । (जिस सदस्य को लेखा संख्या दी ग	र भे च्ये व्यापित का गया तथा संख्या
40 4	ता ना नानत न दुतर सदस्य के लिए नियत नहीं की जीएगी । (जिस सदस्य की लेखा संख्या दी ग	इ ह उसन आपका सवा त्याग दन पर भा)
12. AS	started in para. 2 above, the code number allotted to your H/AB/.817.15	factory / establishment is mbers will be suffixed by the
ser	rial numbers which appear in Form No. 9, Thus the Account number of	of individual members will be
MH	H/AB/81715 /1 MH/AB/ 81715 /2 MH	(ABI.81715)
	and so on. An account number once alloted to a member should in n	
	ember, even though the member bearing account number may have left y	
1110	or a start though the member bearing account number may have left y	our cordinatilietit.

- १३. यह सुनिश्चित किया जाए कि निधि की देय राशी निर्धारित समय में भरनी है। विलंबित अदायगी कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा १४-बी के अनुसार सौ प्रतिशत क्षतिमूल्य के लिए उत्तरदायी होगी।
- 13. It is important to ensure that the amount due to the Fund is paid within the prescribed time limit. Delayed payments are liable to damages upto hundred per cent of the arrears as provided in Section 14-B of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act. 1952.
- १४. इसके अतिक्ति देयता की अदायगी तथा विवरणियों की अ-प्रस्तुति के लिए अभियोग भी लगाया जाएगा ।
- 14. Besides, Prosecution could also lie from non-payment of dues and for non-submission of returns.
- १५. इस कार्यालय के निरीक्षक आपकी स्थापना को भेट देंगे । इसिलए आपसे निवेदन है की उन्हें आवश्यक सहयोग दे । तथापि, अगर आपको कोई कितनई महसूस हो या आप किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं तो इस कार्यालय को या निम्निलिखत पते पर भविष्टा निधि निरीक्षक को लिख सकते हैं।
- 15. An inspector of this office will be visiting your establishment. You are requested to please afford him necessary co-operation. However, if you experience any difficulty or desire any guidance, you my please write to this office or the Provident Fund Inspector whose address is given below.
- 16. Previous Provident Fund accumulations. If any should be transferred in the form of cash within 10 days OR in the form of securities within 30 days.

श्री / श्रीमती		
to a making in the administration of the contract of the contr	भविष्य निधि निरीक्ष	क
	a 1862 - Househalt heus freibwij-	ty-astic
		भवदिय,
	postural or a structure of	
		सहा. भविष्य निधि आयुक्त
		महाराष्ट्र, उपक्षेत्रीय कार्यालय औरंगाबाद.
	Provident Fund Ins	spector
	a the article return of the field of	and to be sportly the marks
	SECONO PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY	
Please	acknowledge receipt of this communi-	cation.

Your's Faithuflly

Asst. Provident Fund Commissioner, Maharashtra, S.R.O. Aurangabad.